न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना , सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 51/2020

1. अली मोहमद पुत्र लीलू खां जाति तेली मुसलमान निवासी ग्राम जीलो तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित– श्री रामसिंह गूर्जर, श्री संजय गूर्जर वकील वादी

निर्णय

दिनांक – 08-02-2021

संक्षेप में वाद वादी इस प्रकार है कि ग्राम जीलो पटवार हल्का जीलो स्थित भूमि खसरा नंबर 148 रकबा 1.40 है., 149 रकबा 1.78 है0 में वादी का नाम अली शेर खां पुत्र लीलू खां दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि वादी का वास्तविक नाम अली मोहमद पुत्र लीलू खां है। वादी के समस्त रिकॉर्ड यथा परिवार राशन कार्ड, वोटर आईडी में भी अली मोहमद पुत्र लीलू खां दर्ज है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में गलती से वादी का नाम घर के बोलते नाम अलीशेर होने से अली शेर खां पुत्र लीलू खां दर्ज कर दिया। जिस कारण वादी को काफी हक तलफी है। प्रतिवादी को नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम अली शेर खां पुत्र लीलू खां के स्थान अली मोहमद पुत्र लीलू खान घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 14:22:51 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
सहायक ... (F.T)
नीमकाथाना ...

Scanned with CamScanner

वादी का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित होने से प्रतिवादी के विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस वकील वादी सुनी गयी।

बहस वकील वादी सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम जीलो पटवार हल्का जीलो स्थित भूमि खसरा नंबर 148 रकबा 1.40 है., 149 रकबा 1.78 है0 में वादी का नाम अली शेर खां पुत्र लीलू खां दर्ज रिकॉर्ड है। । वादी का कथन कि वादी का वास्तविक नाम अली मोहमद पुत्र लीलू खां है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से अली शेर खां पुत्र लीलू खां दर्ज कर दिया है के समर्थन में वादी ने परिवार राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत जीलो [redacted] का प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किया है जिसमें वादी का नाम अली मोहमद पुत्र लीलू खां दर्ज है। वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र एवं गवाह का शपथ पत्र पेश किये। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, शपथ पत्र से वाद वादी बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व आराजी ग्राम जीलो पटवार हल्का जीलो स्थित भूमि खसरा नंबर 148 रकबा 1.40 है., 149 रकबा 1.78 है0 में दर्ज खातेदार अली शेर खां पुत्र लीलू खां के स्थान पर अली मोहमद पुत्र लीलू खां दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

[redacted] निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 14:22:51 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Scanned with CamScanner